हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग
नियुक्ति–II
....

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, निबंधन और शर्तें, (अध्यक्ष एवं सदस्यों) नियम, 2024

अधिसूचना

संख्याः पर (एपी–बी)बी(1)–2/2024 तारीखः शिमला–171002 17 सितम्बर, 2024

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, निबंधन और शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, निबंधन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्यों) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "आयोग" से, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एच.पी.आर.सी.ए.), हमीरपुर अभिप्रेत है,

(ii) "अध्यक्ष" से, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर यथा नियुक्त आयोग का "अध्यक्ष" अभिप्रेत है

(iii) "सदस्य" से, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर यथा नियुक्त आयोग का "सदस्य" अभिप्रेत है

(iv) "कुल मासिक उपलब्धियां" से, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर यथा परिभाषित "उपलब्धियां" अभिप्रेत है।

3. अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तथा पदावधि।	(1)	आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (सदस्यों) की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से जब वह अपना पदग्रहण करता है से केवल 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, यदि राज्य सरकार द्वारा इस पर समुचित विचार किया जाए तो इसे एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जब तक कि वह 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो प्राप्त नहीं कर लेता है।
	(2)	अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्होंने यथास्थिति, राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन कम से कम 10 (दस) वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने कम से कम राज्य सरकार के अधीन सचिव के पे मैट्रिक्स के समान या उससे उच्चतर पे मैट्रिक्स में अन्तिम वेतन आहरित किया हो।
	(3)	एक सदस्य की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्होंने यथास्थिति, राज्य या केन्द्रीय सरकार के अधीन कम से कम 10 (दस) वर्ष की सेवा की हो और जिन्होंने कम से कम राज्य सरकार के अधीन विशेष सचिव के पे मैट्रिक्स के समान या उससे उच्चतर पे मैट्रिक्स में अन्तिम वेतन आहरित किया हो।
4. त्यागपत्र, निलंबन और हटाया जाना।	(1)	अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित नोटिस द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगाः परन्तु अध्यक्ष या सदस्य को, जब तक कि उसे राज्यपाल द्वारा तत्काल अपना पद त्यागने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या जब तक कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति उसका पदग्रहण नहीं कर लेता या पद की

अवधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद पर बना रहेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्य को, उसके पद से, राज्यपाल द्वारा, सिद्ध अवचार के आधार पर सम्यक जांच करने के पश्चात्, जिसमें कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया हो, निलंबित और हटाया जा सकेगा।

5. शपथ.— (1) अध्यक्ष और सदस्य से, नियुक्ति पर इन नियमों से संलग्न प्रारूप पर सत्यनिष्ठा, पद और गोपनीयता की शपथ की अपेक्षा की जाएगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष को शपथ मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और सदस्य को शपथ आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाएगी।

6. वेतन और भत्ते.— आयोग में नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार नियत वेतन पैकेज प्राप्त करेंगे।

1. अध्यक्ष 1.35 लाख रूपए प्रति मास
2. सदस्य 1.20 लाख रूपए प्रति मास

टिप्पण:

(1) इस नियत वेतन पैकेज पर किसी भी प्रकार का कोई भत्ता/वेतन–वृद्धि अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(2) केन्द्रीय/ किसी राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस. यू)/केन्द्र/राज्य सरकार के बोर्ड निगम, केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय या स्थानीय निकाय में नियमित आधार पर सेवारत किसी व्यक्ति की अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में, ए.आई.एस./वर्तमान कैडर में उसी सेवा की अवधि के दौरान उसकी नियुक्ति निबंधन और शर्तों तथा वेतन/ भत्तों पर जैसे कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित किए जाए, प्रतिनियुक्ति के आधार पर समझी जाएगी।

7. छुट्टी.— अध्यक्ष और सदस्यों के पक्ष में केन्द्रीय/ सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के उपबन्धों के अनुसार अर्जित अवकाश, चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर अर्ध वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, सिविल अशान्ति आदि हेतु असाधारण छुट्टी और प्रत्येक कैलन्डर मास के लिए एक दिन की आकस्मिक छुट्टी कार्मिक विभाग में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

8. अनपयोजित अर्जित छुट्टी का भुगतान.— आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 90 (नब्बे) दिन के अध्यधीन अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद पर न बने रहने के कारण अनपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान पाने का हकदार होगा।

9. अस्थिति/ समानता.— आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, चिकित्सीय परिचर्या यात्रा, दैनिक और माइलेज भत्ते की बाबत क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव के समरूप होंगे।

10. शिथिल करने और कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—

(1) जहाँ कार्मिक विभाग में राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

(2) इन नियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) ऐसे उपबन्ध कर सकेगा या ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

आदेश द्वारा,

एम. सुधा देवी, भा0प्र0से0
सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याःपर (एपी–बी)बी(1)–2/2024 तारीखः शिमला–171002, 17 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :–

1. सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
2. सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त /उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार, सचिव, बोर्ड/निगम/स्वायत्त निकाय, सरकारी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश।
8. सचिव, हि0प्र0 लोक सेवा आयोग, शिमला–171002
9. प्रशासनिक अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर, हि0प्र0–177001
10. नियन्त्रक (वित्त व लेखा), कार्मिक विभाग, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला–171002

(बलबीर सिंह)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष नं0 –0177–2880851
ई मेल: persbr2-hp@nic.in

परिशिष्ट –"क"

(निबंधन और शर्तें 5 देखें)

निष्ठा की शपथ का प्ररूप

मैं ________________ सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक तथा सत्यनिष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा ।

पद की शपथ का प्ररूप

मैं ______________ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हूँ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने पद के कर्तव्यों का अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेक अनुसार निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा ।

गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं ____________________ सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा कोई मामला जो मेरे विचार में लाया जाएगा या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय इसके कि वह मेरे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

नियम 5 (2).– आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और सदस्य को आयोग के अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।

(Authoritative English text of this department notification No. Per (AP-B)B(1)2/2024 dated 17-09-2024, as required under article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel
Appointment-II

HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG, TERMS AND CONDITIONS (CHAIRMAN AND MEMBERS) RULES, 2024

NOTIFICATION

No. Per (AP-B)B(1)-2/2024 Dated Shimla-171002, 17th September, 2024

In exercise of the powers conferred by article 162 read with proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the rules regulating appointment, terms and conditions of the Chairman and Members of the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur, namely :-

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Terms and Conditions (Chairman and Members) Rules, 2024.

   (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definition: In these Rules, unless the context otherwise requires: -

   (i) "Aayog" means the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog (HPRCA), Hamirpur.

   (ii) "Chairman" means "Chairman" of the Aayog, as appointed by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

   (iii) "Member" means "Member" of the Aayog, as appointed by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

(iv) 'The total monthly emoluments" means "emoluments" as defined by the Government from time to time.

3. Appointment & Term of office of Chairman & Member – (1) The Chairman and Member(s) of the Aayog shall be appointed by the State Government for a period of 02 (two) years only from the date he/she enters upon his/her office, which will be extendable upto one more year, if considered appropriate by the State Government or until he/she attains the age of 65 years, whichever is earlier.

(2) The Chairman shall be appointed from amongst the persons who have rendered atleast 10 (ten) years service under the State or Central Government, as the case may be, and who have drawn the last pay in the pay matrix atleast equal to or higher than the Secretary under the State Government.

(3) One Member shall be appointed from amongst the persons who have rendered atleast 10 (ten) years service under the State or Central Government, as the case may be, and who have drawn the last pay in the pay matrix atleast equal to or higher than the Special Secretary under the State Government.

4. Resignation, Suspension and Removal – (1) The Chairman and Member may by notice in writing under his/her hand addressed to the Governor, HP resign his/her office.

Provided that the Chairman or Member, shall unless he/she is permitted by the Governor to relinquish his/her office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his/her successor enter upon his/her office or until the expiry of his/her term of office, whichever is earlier.

(2) The Chairman or Member may be suspended and removed from his/her office by the Governor on the ground of proven misconduct after conducting a due inquiry in which he/she is given reasonable opportunity of being heard.

5. Oaths – (1) The Chairman and Member shall, on appointment, be required to take the oaths of allegiance, office and secrecy in the forms appended to these rules.

(2) The oath will be administered to the Chairman of the Aayog by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh and to the Members by the Chairman of the Aayog.

6. Pay and allowances – The Chairman and Members appointed to the Aayog shall receive fixed pay package, as under:-

1. Chairman	₹1.35 lakh per month
2. Member	₹1.20 lakh per month

Note : (1) No allowance/increment of any kind will be admissible on this fixed pay package.

(2) In case of appointment of a person serving on a regular basis in any Central/State Government, PSUs/Board/ Corporation of Central/State Government, Central/ State University or Local Body, as Chairman/Member, his/her appointment will be treated on deputation basis during the period of his services in AIS/ present cadre on such Terms and conditions and pay/allowances as determined by DoP.

7. Leave: Earned leave, Half Pay Leave, Commuted leave, on the basis of medical certificate, Extra Ordinary Leave for Civil Commotions etc. as per the provisions of CCS (leave) Rules, 1972. Casual Leave @ one day for every completed calendar month in respect of the Chairperson and Members shall be sanctioned by the State Government, in the Department of Personnel.

8. Encashment of un-utilized earned leave - The Chairman and Member shall be entitled to the grant of cash payment in lieu of un-utilized earned leave due on ceasing to hold the office as Chairman and Member subject to maximum of 90 (ninety) days.

9. Status / parity - The Chairman and Members of the Aayog shall have parity with the Principal Secretary and Secretary respectively, only in respect of the Medical Attendance, Travelling, Daily & mileage Allowances.

10. Power to relax and to remove difficulties – (1) Where the State Government, in the Department of Personnel, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to category of persons or posts.

(2) If any difficulty arises in giving effect to the provision of these rules, the State Government (in the Department of Personnel) may make such provisions or give such directions as may appear to it necessary or expedient for removal of such difficulty.

By Order,

M. Sudha Devi, IAS
Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Per (AP-B)B(1)2/2024 Dated Shimla-2, the 17-09-2024

Copy is forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Secretary to Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
3. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary to the Govt. of H.P., Shimla-171002
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P., Shimla-171002.
5. All the Heads of Departments in H.P.
6. All the Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners in HP.
7. All the Managing Directors/Registrars/Secretaries etc. in all the Boards & Corporations/PSUs/ Govt. Universities etc. in H.P.
8. The Secretary, HPPSC, Shimla-171002.
9. The Administrative Officer, H.P. Rajya Chayan Aayog, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh-177001.
10. The Controller (Finance & Accounts), Department of Personnel, H.P. Secretariat, Shimla-171002.

(Balbir Singh)
Joint Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph. No. 0177-2880851
Email ID: persbr2-hp@nic.in

Appendix "A"

(See Terms & condition 5)

FORM OF OATH OF ALLEGIANCE

I, ______________________ solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by Law established and that I will loyally carry out the duties of my office.

FORM OF OATH OF OFFICE

I, ______________________ appointed as Chairman/Member of the H.P. Rajya Chayan Aayog do solemnly declare that I will faithfully perform the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgement.

FORM OF OATH OF SECRECY

I, ______________________ solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman of the H.P. Rajya Chayan Aayog except as may be required for the discharge of my duties as Chairman/Member.

—

Rule 5 (2) - The oath will be administered to the Chairman of the Aayog by the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh and to the Members by the Chairman of the Aayog.